

Title: Demand to exempt the religious places from GST.

श्री स्वनीत सिंह (लुधियाना) : स्पीकर मैडम, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि इस इम्पॉर्टेंट इश्यु पर आपने बोलने का मुझे टाइम दिया है। जैसे आप जानते हैं कि जीएसटी हमने ही पार्लियामेंट में पास किया है। जीएसटी वहां लगता है, जहां बिजनेस हो और प्रॉफिट हो। लेकिन जहां रितीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे गुरुद्वारों की बात करें, मंदिर की करें, मस्जिद या चर्च की बात करें तो वहां पर अगर कोई लंगर लगता है या वहां पर कोई प्रशाद मिलता है तो उसमें कोई प्रॉफिट तो है नहीं, कोई पैसा तो कमाना नहीं है। इसलिए यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमारे मुख्य मंत्री जी भी आ कर जेटली साहब से मिले। जीएसटी काउंसिल के सामने यह बात रखनी चाहिए।

अगर मैं अकेले दरबार साहब की बात करूं तो रोज़ एक लाख आदमी दरबार साहब में आता है। अगर हम एक साल के पैसे का नुकसान गिनें तो तक़रीबन दस करोड़ रुपये, एक गुरुद्वारे से जीएसटी में चला जाएगा। मैडम, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमें एक्ज़ेस दी पार्टी यह बात करनी चाहिए कि जो भी रितीजियस प्लेसिस हैं, चाहे दरबार साहब की बात में मेन कर रहा हूँ, सबको समर्थन करना चाहिए कि धार्मिक जगहों पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई बिज़नेस की बात नहीं है, कोई प्रॉफिट की बात नहीं है। लोग अपनी कमाई, हमारे धर्म में दोसांझ हैं कि अपने प्रॉफिट का 10औं जो है, उसका वहां पर माथा टेका जाता है। इसके लिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। वैसे भी अगर मैं बात करूं तो यह कहीं गॉड सर्विस टैक्स न बन जाए तो मैडम भगवान भी ऊपर देख रहा है, वह भी हमें सजा देगा कि यह जीएसटी हमारे घरों पर भी लगा दी। मैडम, जल्दी से जल्दी भगवान को ही खुश रखने के लिए हम जीएसटी यहां पर माफ करें। *â€‘** अगर यह भी चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव को श्री स्वनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।